UPGK010081902023

न्यायालय : जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

उपस्थित : राज कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा,

दीवानी पुनरीक्षण संख्या– 135/2023

1– सरस्वती देवी पत्नी स्व0 रामतिलक (मृतक दौरान मुकदमा),

2– चन्द्रेश्वर पुत्र स्व0 रामतिलक,

3– चन्द्रशेखर पुत्र स्व0 रामतिलक,

4– रामनरेश तिवारी पुत्र पटेश्वरी,

5– महाराज यादव पुत्र स्व0 हीरामन,

निवासीगण– मौजा सिंहोरवा, तप्पा– पचवारा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर।

––पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादी।

प्रति

1– कुशमावती पत्नी राजेन्द्र, निवासिनी– मौजा व पोस्ट– सिंहोरवा, तप्पा– पंचवारा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर।

2– रामदवन पुत्र स्व0 वासदेव, निवासी– मौजा शक्तिनगर, वार्ड नं0– 6, पीपीगंज, जिला– गोरखपुर।

––प्रतिपक्षीगण प्रथम पक्ष/वादीगण।

3– शकुन्तला पत्नी ओमप्रकाश, निवासी– मौजा सिक्टौर, तप्पा– पंचवारा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर।

––प्रतिपक्षी, द्वितीय पक्ष/प्रोफार्मा प्रतिवादी।

निर्णय

पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से यह दीवानी पुनरीक्षण

मूलवाद संख्या– 211/2020, कुशमावती व अन्य प्रति सरस्वती देवी व अन्य के मामले में विद्वान अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), कोर्ट संख्या– 08, गोरखपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.04.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत 19 ग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश– 7, नियम– 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया गया है।

02. प्रस्तुत पुनरीक्षण के निस्तारण हेतु सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिपक्षीगण/वादीगण द्वारा पुनरीक्षणार्थीगण /प्रतिवादीगण के विरूद्ध मूलवाद संख्या– 211/2020 स्थायी व्यादेश व उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त मूलवाद में पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से 19 ग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश– 7, नियम– 11 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 के मंसूखी का वाद–पत्र दाखिल किये हैं, जबकि वादीगण के अभिकथन से यह साबित है कि फूलमन की मृत्यु दिनांक 12.11.1985 को हो गयी थी। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद–पत्र समय से बाधित है तथा राजस्व अभिलेख में भी वादीगण का नाम आराजी निजाई पर दर्ज भी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को मुकदमा परीक्षण करने का भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योकि मुकदमें के कृषि आराजी के स्वामित्व के उदघोषणा के बावत विवाद निहित है तथा धारा– 206 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्राविधान से बाधित है तथा वादीगण को मुकदमें के बावत कोई आधार दावा व वाद का कारण भी प्राप्त नही है। वादीगण नाहक हैरान व परेशान करने की गरज से वाद–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः आदेश– 7 नियम–11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही करते हुए वादीगण के वाद–पत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

03. 19 ग प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध लिखित आपत्ति 20 ग प्रतिपक्षीगण/वादीगण की तरफ से प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है तथा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 की मंसूखी के बावत दाखिल नहीं किया गया है बल्कि उदघोषणा की दादरसी हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या– 1 ता 3 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.10.2022 केवल किस्मत आजमाईश में दाखिल कर दिया है तथा वाद काल बाधित होने की कथन प्रकट कर रहे है जबकि सत्यता यह है कि वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र के पैरा– 14 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि

दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 प्रथम बार दिनांक 18.11.2019 चन्द्रशेखर व अन्य बनाम परमा न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, रूस्तमपुर, गोरखपुर के आदेश उद्धरण खतौनी के अवलोकन से प्राप्त हुई है। अतएव वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद जानकारी से अन्दर मियाद है। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के पैरा– 11 में भी स्पष्ट कथन किया है कि उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 प्रतिवादीगण, प्रथम पक्ष ने अपने पास पोशिदा रखा था। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के पैरा– 12 के उप–पैरा ट, ठ, ड के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 की जानकारी वादीगण को कब हुई तथा कैसे हुई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अपंजीकृम वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 को अवैध व शून्य घोषित करने की दादरसी के बावत दाखिल है, जिसका पूर्ण क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है तथा दूसरी दादरसी इम्तनाई की है जिसके परीक्षण का भी क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त आधारों पर 19 ग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश– 7, नियम– 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. सुनवाई के उपरान्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.04.2023 के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का प्रार्थना–पत्र 19 ग को निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

05. दीवानी पुनरीक्षण में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एवम् तथ्य के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.04.2023 को पारित करने में विधि एवं साक्ष्य के सम्बन्ध में सारवान गलती एवं सारवान अनियमितता किया है तथा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अन्तर्गत कानून सही ढंग से नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायलय ने प्रार्थना–पत्र 19 ग को खारिज करते समय पत्रावली पर उपलब्ध वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र की विवेचना व मूल्यांकन अन्तर्गत कानून सही ढंग से नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिना किसी रिजनिंग के है। प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का, जो आधार व कारण अंकित किया गया है, वह अन्तर्गत कानून उचित व पर्याप्त नहीं है तथा पूर्णरूप से कल्पनाओ पर आधारित है। प्रतिपक्षीगण प्रथम पक्ष/वादीगण को दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 की जानकारी आरम्भ से ही रही तथा बनावटी आधार दावा व वाद का कारण दर्शित करके दस्तावेज वसीयतनामा के प्रभाव में आने के पैंतिस वर्षों बाद प्रस्तुत मुकदमा दाखिल किया है, जो काल वाधित है तथा विचारण न्यायालय ने

प्रार्थना–पत्र 19 ग में उल्लिखित दावे के काल बाधित होने के आधार को नजरअन्दाज कर कानूनी गलती किया है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह विचार कि प्रतिपक्षीगण प्रथम पक्ष/वादीगण द्वारा दाखिल वाद–पत्र धारा– 206 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्राविधान से बाधित नहीं है। उक्त विचार अन्तर्गत कानून के सही नहीं है। प्रतिपक्षीगण प्रथम पक्ष/वादीगण द्वारा कृषि आराजियात के सम्बन्ध में उदघोषणा व स्थायी व्यादेश की दादरसी वाद–पत्र मे याचित किये हैं, जबकि कृषि आराजियात हस्ब तफ्सील अर्जीदावा पर कभी भी प्रतिपक्षीगण प्रथम पक्ष/वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं रहा, बल्कि वसीयतनामा दिनांक 02.11.1985 के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्वामित्व के उदघोषणा व स्थायी व्यादेश के दावे को श्रवण का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नहीं है। पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा उपरोक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.04.2023 निरस्त करते हुए प्रार्थना–पत्र 19 ग अन्तर्गत आदेश– 7, नियम– 11 सिविल प्रक्रिया संहिता किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैधानिक एवम् अनियमिततापूर्ण है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने विहित क्षेत्राधिकारिता का समुचित प्रयोग तथा न्यायिक विवेक एवम् मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादित विधि व्यवस्था **एन0 आशा देवी बनाम आर अरविन्द कुमार व अन्य, सिविल अपील संख्या– 11194/2026 निर्णय दिनांकित 17 अगस्त, 2026** व **दाहिबेन बनाम अरविन्दभाई भानुशाली व अन्य, सिविल अपील संख्या– 9519/2019 निर्णय दिनांकित 09 जुलाई, 2020** प्रस्तुत की गयी हैं।

07. प्रतिपक्षीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमे कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः आक्षेपित आदेश को पुष्ट करते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. मैंने पुनरीक्षणार्थी/प्रतिवादीगण व प्रतिपक्षीगण/वादीगण के विद्वान

अधिवक्ताद्वय के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना तथा आक्षेपित आदेश एवम् विचारण न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया।

09. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश– 7, नियम– 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश– 7 नियम– 11 में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं, जो निम्नवत हैं–

(क) जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद–पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहाँ वाद–पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है,

(च) जहां वादी नियम– 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है,

परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गम्भीर अन्याय होगा।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **मदनूरी श्री राम चन्द्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल, (2017) 13 एस0सी0सी0 174 (2017) 5 एस0सी0सी0 (Civ) 602** में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आदेश– 7, नियम– 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्राविधान के अन्तर्गत वाद–पत्र उस स्थिति में नामंजूर किया जा सकता है, जब आदेश– 7, नियम– 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित प्राविधान पूर्ण हो रहे हो। आदेश– 7, नियम– 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के

क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायालय किसी भी स्तर पर कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आदेश– 7, नियम– 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र को निर्णीत करते समय वाद–पत्र के अभिवचनो को ही देखा जाना है। यदि वाद–पत्र के अनुसार कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वाद निरस्त किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतिवाद–पत्र में किये गये कथन व प्रतिवादी के द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दु वाद–पत्र के नामंजूर किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय नहीं देखा जाना है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपस्थित वाद–पत्र का अवलोकन किया। वाद–पत्र के अभिवचनो के अनुसार तथाकथित फर्जी वसीयतनामा की जानकारी दिनांक 18.11.2019 को वादीगण को हुई थी और वाद जानकारी के अन्दर मियाद है। ऐसी परिस्थितियों में पुनरीक्षणार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पुनरीक्षण में जो यह आधार लिया गया है कि बनावटी आधार दावा व वाद कारण दर्शित करके दस्तावेज वसीयतनामा के प्रभाव में आने के 35 वर्षो के बाद मूलवाद दाखिल किया गया है, जो काल बाधित है और वाद काल बाधित होने के आधार पर निरस्त कर दिया जाय। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश– 7, नियम– 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में आदेश पारित करते समय केवल वाद–पत्र के अभिवचनों को देखा जाना होता है। इस स्तर पर लिखित कथन अथवा प्रार्थना–पत्र में किये गये कथनों पर संज्ञान लेकर प्रार्थना–पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत पुनरीक्षण में मूलवाद में प्रस्तुत वाद–पत्र के कथनो से वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। न्यायशुल्क के सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा पुनरीक्षण बलहीन है।

12. अतः उपरोक्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणार्थीगण/ प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 19 ग को निरस्त करके कोई वैधानिक त्रुटि अथवा तात्विक अनियमितता नहीं की है, निष्कर्षतः दीवानी पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दीवानी पुनरीक्षण संख्या– 135/2023, सरस्वती देवी व

अन्य बनाम कुशमावती व अन्य निरस्त की जाती है।

इस निर्णय एवम् आदेश की एक प्रमाणित प्रति मय विचारण न्यायालय की पत्रावली के सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

उभय पक्षकार दिनांक 11.09.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांक/गोरखपुर
31 अगस्त, 2026

(राज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code– UP1889

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करने के बाद खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक/गोरखपुर
31 अगस्त, 2026

(राज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code– UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.08.31 16:43:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court